कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद—सीतापुर।

पत्रांक : 1632/सा0प्रशा0/अधि0/स0सु0/2020 दिनांकः—12.06.2020

अधिसूचना

चूंकि केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा—112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों/विभिन्न श्रेणी के मोटर यानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है ।

और जहां उक्त अधिनियम की धारा—112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली 1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रकर्ता प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या—1377 दिनांक 06.04.2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।

अतः मोटर यान अधिनियम 1988 (अधिनियम संख्या — 59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली 1998 के नियम—178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सीतापुर जनपद होकर निकलने/चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों या मार्गो या मांगों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है :—

क0 सं0	मार्ग का नाम संख्या	स्थान (कहां से कहां तक) जहां गति निबंधित रहेगी	यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा			
			टू व्हीलर/थ्री व्हीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यात्री यान	चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यात्री यान	समस्त माल यान एवं स्तम्भ 4,5 एवं 6 को छोड़कर अन्य समस्त यात्री यान
1	2	3	4	5	6	7
1	सीतापुर—हरगांव—लहरपुर—तम्बौर	सीतापुर बस स्टैण्ड से नैपालापुर तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
2	सीतापुर—कसरैला—लहरपुर—भदफर	सीतापुर बस स्टैण्ड से नैपालापुर तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा।

	सीतापुर—कसरैला—लहरपुर—लालपुर	सीतापुर बस स्टैण्ड से नैपालापुर तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
4	सीतापुर—कसरैला—लहरपुर—काशीपुर	सीतापुर बस स्टैण्ड से नैपालापुर तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
5	खैराबाद—लहरपुर—तम्बौर	लहरपुर चुंगी से मजाहशाह चौराहा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
6	लखीमपुर—लहरपुर—तम्बौर	लहरपुर चुंगी से मजाहशाह चौराहा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
7	लखीमपुर—लहरपुर—बिसवां—जहांगीराबाद	लहरपुर चुंगी से मजाहशाह चौराहा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
8	बिसवां—लहरपुर—तम्बौर	लहरपुर चुंगी से मजाहशाह चौराहा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
9	बिसवां—लहरपुर—भदफर	लहरपुर चुंगी से मजाहशाह चौराहा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
10	बिसवां—साण्डा—सकरन—मतुआ	नहर से बिसवा चौराहे तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
11	तम्बौर—रेउसा—बिसवां—महमूदाबाद	नहर से बिसवा चौराहे तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
12	तम्बौर—रेउसा—महमूदाबाद—टिकैतगंज	सेमरी चौराहे से महमूदाबाद चौराहे तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
13	सीतापुर—कस्ता—गोला—कुकरा टाउन	सीतापुर बस स्टैण्ड से रेलवे फाटक तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
14	सिधौली—मिश्रित—नैमिषारण्य	वर्मी से मिश्रिख नहर तक	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा

गति सम्बन्धी उपरोक्त प्रतिबंध निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रभावी होगा :—

(I) मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा—116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबन्धित स्थान के दोनों छोर—प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह—जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक अनुसार सम्बन्धित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चलाको को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिये रेट्रो—रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्ध केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा

अ) अग्नि शमन वाहन।

ब) एम्बुलेन्स।

स) पुलिस वाहन।

द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन।

य) प्राकृतिक आपदा के प्रबन्धन के लिये प्रयुक्त वाहन।

(iii) उपरोक्त तालिका के कॉलम–3 में उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गो के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 (1988 का 59) की धारा–112 की उप धारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1377, दिनांक 06.04.2018, समय–समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत् लागू रहेगी।

आज्ञा से

(प्रवीण कुमार सिंह)
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद सीतापुर।
12.6.20

पृ0सं0 /अधि0/स0स0/2020 समदिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात) यातायात निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ ।
3. जिलाधिकारी सीतापुर।
4. पुलिस अधीक्षक सीतापुर।
5. निदेशक छपाई एवं मुद्रण सामग्री राजकीय प्रेस, ऐशबाग को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले राजकीय गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
6. सहायक सूचना निदेशक, सीतापुर को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त अधिसूचना कम से कम 5 समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
7. अधिशाषी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड/निर्माण खण्ड–1/निर्माण खण्ड–3 लोक निर्माण विभाग, सीतापुर।
8. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (पूर्वी/पश्चिमी) लखनऊ उ0प्र0।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद सीतापुर।

‘समझदारी का गियर’ डाल सलीके से चलाइए गाड़ी

जिले की सड़कों पर तय हुई **वाहनों की अधिकतम गति** अनदेखी की तो भरेंगे जुर्माना

40 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से ही चल सकेंगे दोपहिया और थ्री व्हीलर

50 किमी प्रतिघंटा की गति से चलेंगे मालवाहन व 12 सीट से अधिक वाले वाहन

60 किमी प्रतिघंटा की गति से चल सकेंगे आठ से 12 सीटों तक वाले वाहन

जागरण संवाददाता, सीतापुर : हेलो... आप दोपहिया और चौपहिया चलाते हैं? अगर हां तो इस खबर को जरा ध्यान से पढ़कर अपनी ड्राइविंग सुधार लीजिए। दरअसल, अब जिले की सड़कों पर वाहन मनमानी रफ्तार से फर्राटा नहीं भर सकेंगे। हर सड़क के लिए अधिकतम गति सीमा तय हो गई है। अगर कोई भी ड्राइविंग के दौरान गति सीमा की 'लक्ष्मण रेखा' लांघेगा तो उसे भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। ऐसे में हमें आज से ही गाड़ी में 'समझदारी का गियर' डाल सलीके की रफ्तार से चलने की आदत डाल लीजिए। अगर हम सबने अपनी ड्राइविंग में यह बदलाव कर लिया तो यकीन मानिए कि हादसों पर भी अंकुश अवश्य लगेगा।

वाहनों की अधिकतम गति सीमा का यह नियम नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर मान्य नहीं होगा। इनकी गति की सीमा केंद्र और राज्य सरकार तय करती है। इन्हीं नियमों के अनुरूप एनएच और एसएच पर कार्रवाई होती है। इसके अलावा नगर पालिका क्षेत्र में भी यह अधिकार परिवहन विभाग के पास नहीं है। ऐसे में वहां पर ये नियम लागू नहीं होंगे।

जिला महिला अस्पताल मार्ग से होकर गुजरते बाइक सवार • जागरण

शहर में कोतवाली जाने वाले मार्ग से गुजरती कार • जागरण

इन पर लागू नहीं होंगे ये नियम

फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस, पुलिस वाहन, सैन्य बल व अर्ध सैन्य बल के वाहनों के अलावा प्राकृतिक आपदा आदि के वाहन।

पढ़ें अपने जिले की अन्य खबरें
www.jagran.com/state/uttar-prdesh पर

इंटरसेप्टर से परखेंगे हकीकत

'गति की सीमा परखने के लिए इंटरसेप्टर डिवाइस है। इससे वाहन की गति रिपोर्ट निकल आती है। अगर कोई तेज गति से गाड़ी चलाता है तो उसे दो हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर कोई चालक इसकी पुनरावृत्ति करता मिलता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है।'

–उदित नारायण पांडेय, एआरटीओ प्रवर्तन

व्यवस्था लागू, लोग करें पालन

'जिले की सड़कों पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा तय कर दी गई है। इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है। वाहन चालकों से अनुरोध है कि वे अधिकतम गति के नियम का पालन अवश्य करें। ऐसा करने से न केवल हादसों पर अंकुश लगाया जा सकेगा बल्कि आप भी चालक के तौर पर सड़क सुरक्षा में अपना योगदान दे सकेंगे।'

–प्रवीण कुमार सिंह, एआरटीओ प्रशासन

निर्धारित गति से तेज रफ्तार वाहनों पर होगी कार्रवाई

सीतापुर। निकाय क्षेत्रों को छोड़कर अन्य मार्गों पर परिवहन विभाग ने वाहन संचालन के लिए गति सीमा का निर्धारण किया है। अलग-अलग वाहनों एवं मार्गों के लिए गति सीमा 40 किमी. प्रतिघंटे से लेकर 60 किमी. प्रति घंटा तय की गई है।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) प्रवीन कुमार सिंह ने बताया कि जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों/विभिन्न श्रेणियों के यानों की अधिकतम गति सीमा का निर्धारण किया जाता है। उन्होंने बताया कि निकाय क्षेत्रों में वाहनों की गति सीमा का निर्धारण पुलिस द्वारा किया जाएगा, साथ ही आपातकालीन सेवाओं में प्रयुक्त होने वाले वाहन अग्निशमन वाहन, एंबुलेंस, पुलिस वाहन व कानून-व्यवस्था बनाए रखने वाले सैन्य बलों के वाहनों को छूट दी गई है। एआरटीओ ने बताया वाहन व मार्गों के हिसाब से 40 किमी. से लेकर 60 किमी. प्रतिघंटे की स्पीड निर्धारित की गई है। तय गति सीमा से अधिक की रफ्तार में चलने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए दो हजार रुपये का जुर्माना अथवा तीन माह के लिए लाइसेंस का निलंबन अथवा दोनों कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने बताया कि ये नवीन गति निर्धारण 12 जून से जिले में लागू हो गया है।

60 किलोमीटर प्रतिघंटा से अधिक रफ्तार नहीं दौड़ा सकेंगे वाहन

एआरटीओ ने निर्धारित की गतिसीमा, जुर्माना भी तय

संवाददाता। सीतापुर

परिवहन विभाग ने जिले की विभिन्न रोडों की गति सीमा तय कर दी है। निर्धारित सीमा से अधिक रफ्तार से गाड़ी चलाने पर दण्डित किया जाएगा। दो हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।तीन माह के लिए लाइसेन्स भी निरस्त हो सकता है।विशेष परिस्थिति में दोनों दण्ड दिए जा सकते हैं। जनपद में सड़क हादसों की संख्या बढ़ती जा रही थी। इसे लेकर परिवहन विभाग चिंतित था। सहायक परिवहन अधिकारी प्रशासन प्रवीन कुमार सिंह ने सड़क हादसों को कम करने पर मंथन किया। इसके बाद उन्होंने विभिन्न रोडों की गतिसीमा निर्धारित कर दी। एआरटीओ प्रशासन ने बताया कि निकाय क्षेत्रों छोड़कर अन्य सभी सड़कों पर वाहनों की गतिसीमा निर्धारित कर दी गई है। नगर निकाय क्षेत्रों में वाहनों की गति सीमा का निर्धारण पुलिस करेगी। निर्धारित सीमा का उल्लघंन करने वालों पर दो हजार रूपए का जुर्माना या फिर तीन माह के लिए लाइसेंस का निलम्बन का दण्ड बोला जा सकता है। सीतापुर-हरगांव, लहरपुर-तम्बौर सीतापुर बस स्टैण्ड से नैपालापुर तक दो पहिया व तिपहिया वाहन 40, सेवन से 12 सीट तक के वाहन 60, आठ से 12 सीटर वाहन और 12 सीट से अधिक के वाहन 50 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से चल सकेंगे। इसी तरह सीतापुर-कसरैला, लहरपुर-भदफर सीतापुर बस स्टैण्ड से नैपालापुर तक, सीतापुर-कसरैला, लहरपुर-लालपुर सीतापुर बस स्टैण्ड से नैपालापुर तक, सीतापुर-कसरैला, लहरपुर-काषीपुर सीतापुर बस स्टैण्ड से नैपालापुर तक, खैराबाद-लहरपुर, तम्बौर लहरपुर चुंगी से मजाहषाह चौराहा तक, लखीमपुर-लहरपुर बिसवां-जहांगीराबाद लहरपुर चुंगी से मजाहषाह चौराहा तक, बिसवां-लहरपुर, तम्बौर लहरपुर चुंगी से मजाहषाह चौराहा तक, बिसवां-लहरपुर, भदफर लहरपुर चुंगी से मजाशाह चौराहा तक, बिसवां-सांडा सकरन-मतुआ नहर से बिसवां चौराहे तक, बिसवां-महमूदाबाद नहर से बिसवां चौराहे तक, तम्बौर-रेउसा, बिसवां-टिकैतगंज सेमरी चौराहे से महमूदाबाद चौराहे तक, सीतापुर-कस्ता गोला-कुकरा टाउन तक, सीतापुर बस स्टैण्ड से रेलवे फाटक तक और सिधौली-मिश्रिख नैमिषारण्य वर्मी से मिश्रिख नहर तक वाहन फर्राटा भर सकेंगे।

आपातकालीन सेवाएं रहेंगी मुक्त

एआरटीओ प्रशासन प्रवीन कुमार सिंह ने बताया कि अग्निशमन वाहन, एम्बुलेन्स, पुलिस वाहन कानून व्यवस्था बनाये रखने वाले सैन्य बलों के वाहनों पर गति सीमा निर्धारण का नियम लागू नहीं होगा। बाकी सभी वाहन चालकों को नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि एआरटीओ (प्रवर्तन) व यात्रीकर अधिकारी चेकिंग अभियान चलाकर नियमों का पालन सुनिश्चित कराएंगे।

परिवहन विभाग किया गति का निर्धारण

सीतापुर। परिवहन विभाग द्वारा जिले में, निकाय क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों के मार्गों पर वाहनों के संचालन हेतु अधिकतम गति सीमा का निर्धारण किया गया है। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) प्रवीन कुमार सिंह ने बताया कि जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों/विभिन्न श्रेणियों के यानों की निर्धारित अधिकतम सीमा का निर्धारण किया जाता है। उन्होने बताया कि निकाय क्षेत्रों में वाहनों की गति सीमा का निर्धारण पुलिस द्वारा किया जायेगा, साथ ही आपातकालीन सेवाओं में प्रयुक्त होने वाले वाहन अग्निशमन वाहन, एम्बुलेन्स, पुलिस वाहन कानून व्यवस्था बनाये रखने वाले सैन्य बलों के वाहनों को छूट दी गयी है। उन्होने बताया कि निर्धारित की गयी गति सीमा से अधिक की रफ्तार में चलने वाले वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए रू0 2000/- का जुर्माना अथवा 3 माह के लिए लाइसेन्स का निलम्बन अथवा दोनों लगाये जा सकते हैं। वाहनों की गति निर्धारित होने से जनपद में हो रही मार्ग दुर्घटनाओं में कमी आयेगी। उन्होने बताया कि 12 जून 2020 से नवीन गति निर्धारण को जिले में लागू कर दिया गया है, एआरटीओ (प्रवर्तन), यात्रीकर अधिकारी द्वारा इस बावत सघन चेकिंग अभियान चलाकर कार्यवाही की जायेगी।

वृक्षारोपण कार्यक्रम की तैयारियों के सम्बंध में मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक सम्पन्न

प्रयागराज। मण्डलायुक्त प्रयागराज आर0 रमेश कुमार की अध्यक्षता में गांधी सभागार में मण्डलीय उच्चाधिकारियों के साथ जुलाई माह में होने वाले वृक्षारोपण कार्यक्रम की तैयारियों के सम्बंध में समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। उन्होंने कहा कि इस वर्ष जुलाई माह में पूरे प्रदेश में कुल 35 करो? वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि एक दिन में 25 करो? पौधे लगाने का लक्ष्य भी रखा गया है, जो कि मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 योगी आदित्यनाथ के द्वारा जुलाई के प्रथम सप्ताह में किसी एक दिन होना सुनिश्चित है। उन्होंने मण्डल के सभी मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि पौधरोपण से सम्बंधित सभी तैयारियां समय से पूर्ण करा ले। उन्होंने पौधरोपण के लिए तैयार किए जाने वाले गड्?ों की जानकारी ली एवं एक-दो दिन के भीतर लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने बताया कि प्रयागराज में इस वर्ष इक्यावन लाख पच्चास हजार पौधरोपण(51,50000) की योजना है। उन्होंने सभी मुख्य विकास अधिकारियों से जिले स्तर पर अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ एक बैठक करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ब्लाक स्तर पर भी इसी प्रकार की एक बैठक होनी चाहिए, जिससे कि लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 जी की मंशा है कि अधिक से अधिक संख्या में सैजन के पौधे लगाये जाये, क्योंकि यह पौधा औषधीय गुणों से युक्त है, जिसका जनमानस में विभिन्न तरीकों से उपयोग हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने 100 साल से अधिक आयु वाले पीपल, बरगद, पाक? इत्यादि के वृक्षों को चिन्हित कर उन्हें विरासत वृक्ष के रूप में चयनित करने के भी निर्देश दिये। मण्डलायुक्त ने कहा कि इस वर्ष 20 प्रतिशत फलदार वृक्षों को लगाये जाने का लक्ष्य रखा गया है।